संख्या- ?/ 20/केन्द्रीय/19-20 दिनांक- 09/04/19

नगर निगम, वाराणसी

नगर निगम वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं के प्रयोग में लिये जाने पर अर्थदण्ड वसूली के अन्तर्गत (उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–7 की **अधिसूचना संख्या 1056/9–7–18–29 (लखनऊ)/18 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई 2018** एवं उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (विनियमन) अधिनियम– 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क में किये गये प्राविधानों के अनुसार नगर निगम वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि वस्तुओं के प्रयोग एवं **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण** के आदेश के क्रम एवं नगर निगम वाराणसी के **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियमों** के अन्तर्गत सफाई के बाद गन्दगी फैलाने, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री सड़कों पर फेकने तथा अवैध पशु पालकों से अर्थ दण्ड वसूली चालान की कार्यवाही करने हेतु जोन वार टास्क फोर्स का गठन किया जाता है जिसका विवरण निम्न है–

1. **दशाश्वमेध जोन–**
    - श्री धर्मराज सिंह (जोनल अधिकारी दशाश्वमेध)
    - श्री सतीश चन्द्रा (करअधीक्षक दशाश्वमेध)
    - श्री शिवेश कुमार तिवारी (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री राजन सिंह यादव (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री विवेक बोहरा (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - हरिशंकर पाठक (सेनेटरी सुपरवाइजर)
2. **वरुणापार जोन–**
    - श्री पी0 के0 द्विवेदी (जोनल अधिकारी वरुणापार)
    - श्री कमलेश कुमार यादव (करअधीक्षक वरुणापार)
    - श्री लालमनि यादव (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री शत्रुजंय श्रीवास्तव (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री विनयानन्द द्विवेदी (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्रीमती अपर्णा वाजपेयी (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
3. **आदमपुर एवं कोतवाली जोन–**
    - श्री मनोज कुमार (जोनल अधिकारी आदमपुर)
    - श्री अरविन्द यादव (जोनल अधिकारी कोतवाली)
    - श्री रामसकल यादव (जोनल स्वास्थ्य अधिकारी)
    - श्री रामू सागर (मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री गोविन्द वाजपेयी (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री विवेक कुमार (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
    - श्री सुजीत गुप्ता (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)

4. भेलूपुर जोन–

- श्री जगदीश यादव (जोनल अधिकारी भेलूपुर)
- श्री पी० एन० गुप्ता (जोनल स्वास्थ्य अधिकारी)
- श्री जयप्रकाश (करअधीक्षक)
- श्री गौरीशंकर वार्ष्णेय (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
- श्री शैलेश कुमार ठाकुर (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक)
- श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (सेनेटरी सुपरवाइजर)

स्पेशल टास्क फोर्स–

- श्री शिवेश कुमार तिवारी
- श्री विवेक बोहरा
- श्री लालमनि
- श्री नृपेन्द्र शंकर सिंह
- चार होमगार्ड

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के इन्वारमेटंल कम्पनसेशन अधिनियम धारा 15 एवं 17 एवं पारित आदेश संख्या 138 ऑफ 2015 कृष्णपाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 3595/9–5–2016–29 रिट/2014 दिनांक 04.11.2016 एवं नगर निगम वाराणसी के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि– 2017 के अनुसार विचलन की प्रत्येक घटना पर अर्थदण्ड निम्नानुसार है–

1. भवन सामाग्री/भवन अवशेष को सड़क पर रखने की प्रत्येक घटना पर अर्थदण्ड– 50,000 रू0।
2. सार्वजनिक स्थलों पर गोबर डालना, अवैध रुप से नगरीय क्षेत्रों में डेयरी का संचालन अर्थदण्ड – 20,000 रू0।
3. नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेकें जाने तथा अपशिष्टों के जलाये जाने पर अर्थदण्ड – 10,000 रू0।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि– 2017 का विचलन– अर्थदण्ड उपविधि के अनुसार।

प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि के पकड़े जाने पर भारात्मक रुप से अर्थदण्ड निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा का विवरण	धनराशि रूपयों में
1.	100 ग्राम तक	1,000.00
2.	101 ग्राम – 500 ग्राम	2,000.00
3.	501 ग्राम–1 किलोग्राम	5,000.00
4.	1 किलोग्राम से अधिक	25,000.00
ख	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक	25,000.00

	संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान दुकानों / ढाबो / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तलाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थालों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	
ग	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यथा शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान दुकानों / ढाबो / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तलाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थालों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000.00

नोट – स्पेशल टास्क फोर्स पूरे वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में भ्रमण करेगी। जिस भी सबजोन / जोन में कार्यवाही होगी वहाँ के सम्बन्धित जोनल अधिकारी एवं सफाई एवं निरीक्षक सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित थाना क्षेत्र के पुलिस बल का भी सहयोग आपेक्षित होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अतिक्रमण विभाग भी अपनी टीम के साथ अतिक्रमण हटवाने एवं पॉलीथीन, गन्दगी पाये जाने पर कार्यवाही करेगी।

08/04/19

नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

पत्रांकः– 2/20/केन्द्रीय/19-20 दिनांकः– 09/04/19

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मण्डलायुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
5. समस्त अपर नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी।
6. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. परिवार कल्याण विभाग
8. स्वास्थ्य विभाग
9. मुख्य रक्षक

10/04/19

08/04/19

नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

10-4-2019